

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका संख्या-09/निधि-(OPRMC)-01-07/2025-
सेवा में, कार्यपालक अभियंता

233514A

पटना, दिनांक: 24.3.26

पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग (संलग्न आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-41 अधीन मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-03 - राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष-103-रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष- 0002-अन्य अनुरक्षण व्यय, विषयशीर्ष- 0002.27.02 - अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

आदेश :- उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ -2 में अंकित प्रमंडलों/निगम/कार्यालय के लिए स्तम्भ-4 में अंकित राशि के अनुरूप वर्तमान में कुल राशि ₹9,25,06,253/- (नौ करोड़ पच्चीस लाख छः हजार दो सौ तिरपन रूपये) मात्र आवंटित किया जाता है।

- यह व्यय उपर्युक्त माँग संख्या- 41, मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष 03 - राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष -103 - रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष 0002-अन्य अनुरक्षण व्यय, विषयशीर्ष -0002.27.02- मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है। इस राशि का विपत्र कोड-41-3054031030002 है।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 227/ वि., दिनांक- 28.03.2025, पत्रांक-235 /वि. दिनांक-01.04.2025, ज्ञापांक-18/BCF-230/2025 दिनांक-06.10.2025 एवं पत्रांक-191 दिनांक-16.02.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम0-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.18 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
- संबंधित निगम/ प्रमंडल / कार्यालय विभागीय पत्र सं- 4099(एस.) दिनांक-11.05.2017, पत्र सं- 901(ई.) दिनांक-08.02.2018 एवं 3723(ई.), दिनांक- 14.05.2019 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि का व्यय करेंगे।
- यह आवंटन स्वीकृत योजनाओं हेतु आवंटन विवरणी के स्तम्भ-6 में अंकित आपके पत्रांक / दिनांक तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में दी जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उक्त स्वीकृत्यादेशों में किये गये प्रावधानों एवं निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- विगत वित्तीय वर्षों की स्वीकृत एवं एकरारनामित योजनाओं, जिनके विरुद्ध कार्य का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है, के सम्बंध में आवश्यक स्पील ओभर की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- यह व्यय प्रशासनिक / प्रावैधिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
- वर्तमान आवंटन में OPRMC-II के व्यय हेतु विशिष्ट रूप से निदेशित किया जाता है कि पैकेज वार अधिकतम व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुज्ञेय सीमा से 20 प्रतिशत अधिक तक सीमित रखी जाय। किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञेय सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाय अन्यथा अधिकाई व्यय की पूर्णतः जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्गत आवंटन का उपयोग उन पथों/पथांशों के लिए किय जाएगा, जिनका सेवा स्तर (Service level) MBD में प्रावधानित मानक के अनुरूप है।
- वैसे पथ / पथांश, जिनका सेवा स्तर प्रावधानित मानक के अनुरूप नहीं है एवं पथ में कराये गये कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं है, का भुगतान MBD में प्रावधानित कटौतियों यथा Deductions for Non-compliance, Liquidated damage आदि का नियमानुसार समायोजन के उपरान्त ही किया जाए। अगला कोई भी भुगतान के पूर्व कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखापाल यह सुनिश्चित कर लेंगे की एकरारनामा की तिथि से इस भुगतान तक एजेंसी से जो भी कटौतियाँ अनुमान्य होती है, उसे अनिवार्यतः कटौती कर ली जाय।

su

भविष्य में कार्यपालक अभियंता द्वारा पारित किये जाने वाले प्रत्येक विपत्र पर कनीय अभियंता, अभियंता से यह प्रमाण पत्र अंकित कराया जाय कि "MBD के अन्तर्गत सेवा स्तर संधारण में कमी/विलंब हेतु कटौती कर ली गई है"। सरकारी राशि के नियमानुसार व्यय के लिए कार्यपालक अभियंता जिम्मेदार होंगे।

- 13 खर्च को आवंटित राशि तक सीमित रखा जाय तथा किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक खर्च नहीं किया जाय किसी तरह के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। बकाये राशि की शुद्धता एवं देयता का जाँच निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने स्तर से कर लेंगे एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार समझे जायेंगे।
- 14 कुल आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में निश्चित रूप से महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार को उपलब्ध कराते हुए मदवार/कार्यवार मिलान कराया जाय तथा मिलान की एक प्रति विभाग में निश्चित रूप से समर्पित किया जाय, अन्यथा अगला आवंटन देना सम्भव नहीं होगा।
- 15 यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में नहीं हो सके तो बचत की राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-30.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।
- 16 प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
- 17 इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनु0 - यथोक्त।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या-09/निधि-(OPRMC)-01-07/2025-

233/516A

पटना, दिनांक :

24.3.25

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव/सचिव कोषांग, प0नि0वि, पटना / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता / अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, प0नि0वि0, पटना / मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0, पटना / संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0, पटना / अधीक्षण अभियंता (अनु0), प0नि0वि0, पटना / अधीक्षण अभियंता (बजट), प0नि0वि0 / कार्यपालक अभियंता (बजट-1), प0नि0वि0/ आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-9, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

सचिका संख्या-09/निधि-(OPRMC)-01-07/2025- **233 516A** पटना, दिनांक: **24.3.24**

क्र० सं०	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर।	27,47,00,000	3,00,00,000	30,47,00,000	EE 594/14.03.2026
2	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, संख्या-1, जहानाबाद।	18,54,50,000	91,74,556	19,46,24,556	CE (S) 3739/17.10.2025 & 373/30.01.2026 EE 248/11.03.2026
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं० 1, गया जी	45,28,60,000	99,76,000	46,28,36,000	CE (S) 931/10.03.2026
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई	31,31,01,946	6,83,144	31,37,85,090	CE (S) 2256/02.07.2025 2707/31.07.2025 EE 253/17.03.2026
5	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर	36,52,65,400	32,65,395	36,85,30,795	CE (N) 843/09.03.2026
6	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भभुआ।	17,00,00,000	1,03,82,304	18,03,82,304	CE (S) 801/25.02.2026
7	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा	99,42,491	12,29,800	1,11,72,291	CE (Sim) 414/02.03.2026
8	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी	35,00,00,000	1,50,00,000	37,75,35,603	EE 952/09.03.2026
			1,25,35,603		CE (N) 3219/10.10.2025
9	कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा।	25,00,000	2,59,451	27,59,451	CE NH (N) 1995/23.06.2025 EE 248/21.02.2026
कुल योग		212,38,19,837	9,25,06,253	221,63,26,090	

वर्तमान आवंटित राशि (शब्दों में) - नौ करोड़ पच्चीस लाख छः हजार दो सौ तिरपन मात्र।

(Signature)
24.3.2024

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(Signature)
24/03/24

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(Signature)